

संख्या- 833/V-2/41(आ0)19/2019

प्रेषक,

प्रेम सिंह राणा,  
अनु सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

आवास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 11 सितम्बर, 2019

विषय- रोल्टर फण्ड की धनराशि को 12 किशतों में जमा कराये जाने के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक विंडलास डेवलपर्स प्रा0 लि0, देहरादून के पत्र दिनांक 14.05.2019 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा रोल्टर फण्ड की धनराशि को 12 किशतों में जमा कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1195/V-2-2019-23(आ0)/2011, दिनांक 09.09.2019 (प्रति संलग्न) के द्वारा शासनादेश संख्या-506/V/आ0-2016-23(आ0)/2011, दिनांक 30.03.2016 में रोल्टर फण्ड जमा किये जाने हेतु निर्धारित व्यवस्था के प्रस्तर-2(iii) के उप प्रस्तर-(III) में संशोधन करते हुए रोल्टर फण्ड जमा किये जाने की नवीन व्यवस्था निर्धारित की गयी है।


अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश संख्या-1195/V-2-2019-23(आ0)/2011, दिनांक 09.09.2019 में निर्धारित व्यवस्थानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव

संख्या- 833 /V-2/41(आ0)19/2019, तददिनांक।

प्रतिलिपी- विंडलास डेवलपर्स प्रा0 लि0, देहरादून को उनके पत्र दिनांक 14.05.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

  
(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव